कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीयं खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

पत्र संख्या 163 / 16सी0 दिनांक 13/01/2015

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिानगर फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय : जनपद रूदप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत निरवाली–धारकोट झूला पुल के निर्माण हेतु के निर्माण हेतु 0.30 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः आपके द्वारा दिनांक 03.01.2015 को उक्त कार्य के वनभूमि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनांक 27.12.2014 को इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन अपलोड किया गया था। जिसमें आपके स्तर से दिनांक 03.01.2015 को आपत्तियां प्रकट की गयी, जिनका निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है।

Main Attachement

क्रमांक 1.2 – सवे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानिचत्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वनक्षेत्र दर्शाया गया हो। मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर किये गये हैं। पेज संख्या 28 पर किया गया है।

क्रमांक 1.3– मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावि क्षेत्र को जीपीएस के साथ दिखाया गया हो, प्रस्ताव में डिजिटल मैप कोऑर्डिनेट सहित लगाया गया है। पृष्ठ-73-

क्रमांक 1.4– गूगल मानिचत्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो– गूगल मानिचत्र जिसमें प्रस्तावित कार्य पूर्ण विवरण अंकित है प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर हैं यह सेतु कार्य होने के कारण वैकल्पिक समरेखण की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ-73

Additional Attachement

क्रमांक 2.3 – संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रयोक्ता एजेन्सी, वनविभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)– प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। पृष्ठ-18-

क्रमांक 2.4– वैकल्पिक समरेखण को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण– सेतु कार्य होने के कारण वैकल्पिक समरेखण आवश्यक नहीं है।

क्रमांक 2.7– परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में भूमि विभिन्न वर्गवाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि– भूमिवार क्षेत्रफल का आंकलन संलग्न है, पृष्ठ 22 पर।

क्रमांक 2.12– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन– संलग्न है पृष्ठ 38 से 42 तक।

क्रमांक 2.14– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण पत्र (1 हे0 से कम में लागू)– पंचवर्षीय के स्थान पर 10 वर्षीय संलग्न है, पृष्ठ 29 से 24 तक।

क्रमांक 2.15– परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम– परियोजना प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, वृक्षों की संख्या शून्य है एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। पृष्ठ-23-24

क्रमांक 2.17– अगर वृक्षों का पातन नहीं होता है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 42 पर है।

क्रमांक 2.20– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क /वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 26 पर है।

क्रमांक 2.21– यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क /वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय पार्क /वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है, का प्रमाण पत्र प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षररित है। पृष्ठ-81-

क्रमांक 2.23– वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र– यह प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 61 पर संलग्न है।

क्रमांक 2.27– कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र– प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 48 पर है।

क्रमांक 2.37– एनपीवी की देयता का प्रमाण पत्र– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 64 पर है।

अतः आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव ऑन लाइन अपलोड किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वनभूमि सहायक प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग को अभिलेख हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।